



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 475]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 585(अ).**—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक, नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली - 110003 को भेजे या [dgoffice.dgca@nic.in](mailto:dgoffice.dgca@nic.in) पर ई-मेल करें;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत यदि किसी व्यक्ति से आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वायुयान नियम, 1937 में, नियम 29ख में, प्रथम परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि महानिदेशक से ऐसी सेवाओं के लिए प्रमाणित विमान में समादेशक विमान चालक इस संबंध में महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन वाई-फाई के माध्यम से मोबाइल संचार तथा इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की अनुमति दे सकेगा:”

[फा. सं. ए. वी. 11012/103/2015-ए]

शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 25 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 2 जुलाई, 2019 की सा.का.नि. सं. 468(अ) द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2019

**G.S.R. 585(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to [dgooffice.dgca@nic.in](mailto:dgooffice.dgca@nic.in);

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

#### Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 29B, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the Pilot-in-Command may permit the use of mobile communication and internet services through Wi-Fi on board an aircraft certified by the Director-General for such services and subject to the procedures specified by the Director-General in that behalf."

[F. No. AV. 11012/103/2015-A]

SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23<sup>rd</sup> March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 468(E), dated the 25th June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 2nd July, 2019.